जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण सं0 69/2018(RCMS : 2018/00136) पंजाब नेशनल बैंक, एक निगमित निकास जिसक प्रधान कार्यालय 7, भीखाएजी, कामा प्लेस, अफ्रीका ऐवन्यू, नई दिल्ली शाखा कार्यालय पंजाब नेशनल बैंक , बीरबल चौक, श्रीगंगानगर बनाम 1. मैसर्स श्रीगंगानगर ग्वार गम प्राईवेट लि.एफ–382, रिको श्रीगंगानगर (ऋणी व जमानती) 2. मदन लाल सिंगल, निदेशक, श्रीगंगानगर ग्वार गम प्राईवेट लि, 61 सी ब्लॉक(बंधककर्त्ता व जमानती) 3. सोनू सिंगल पुत्र मदन लाल सिंगल निदेशक श्रीगंगानगर ग्वार गम प्राईवेट लि., निवासी 61 सी ब्लॉक, श्रीगंगानगर(बंधककर्त्ता व जमानती)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.01.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से श्री विपिन सिद्ध, अभिभाषक एवं अप्रार्थी ऋणी फर्म की ओर से श्री वेद प्रकाश गर्ग, अभिभाषक उपस्थित है। प्रार्थी बैंक के अभिभाषक द्वारा प्रार्थना की है कि अप्रार्थीगण मैसर्स श्रीगंगानगर ग्वार गम प्राईवेट लि. वगैरा द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण ऋण की एवज में मदन लाल सिंगल ऋणी द्वारा बंधक रखी गई सम्पत्ति मकान संख्या 61 सी ब्लॉक उत्तर पश्चिम खुलता हुआ कॉर्नर, श्रीगंगानगर (16'गुणा30') का भौतिक कब्जा प्राप्ति के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। **अब इस प्रकरण में प्रार्थी बैंक किसी प्रकार से आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता हैं और** यदि प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 30.07.2018 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक शाखा बीरबल चौक, श्रीगंगानगर के द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत मैसर्स श्रीगंगानगर ग्वार गम प्राईवेट लि. वगैरा के विरूद्ध ऋण की

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

69/2018

सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई सम्पत्ति मकान संख्या 61 सी ब्लॉक उत्तर पश्चिम खुलता हुआ कॉर्नर, श्रीगंगानगर (16'गुणा30') का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब प्रार्थी बैंक के अभिभाषक द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि इस प्रकरण में वे किसी प्रकार से आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं इसलिए यदि इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज कर दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।**

चूंकि अब प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक शाखा बीरबल चौक, श्रीगंगानगर के अभिभाषक श्री विपिन सिद्ध इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है इसलिए उनके द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना दिनांक 30.07.2018 को इसी आधार पर खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद मदन नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर